बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र06–विविध–20/2013(खंड) 2268 /खाद्य, पटना/दिनांक 14.05.22

प्रेषक,

विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत माह जून, 2022 से मार्च, 2023 हेतु खाद्यान्न का संशोधित मासिक उपावंटन के संबंध में।

प्रसंगः– भारत सरकार का पत्रांक– 1-8/2013-BP.III (Vol.II) दिनांक – 13.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों के लिए 2 : 3 के अनुपात में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है अर्थात अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूँ एवं 21 किलोग्राम चावल) तथा पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल) उपलब्ध कराया जा रहा है।

भारत सरकार के उक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत 1 : 4 के अनुपात में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा अर्थात अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 7 किलो गेहूँ एवं 28 किलो चावल अर्थात कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न तथा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 1 किलोग्राम गेहूँ एवं 4 किलोग्राम चावल अर्थात कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्रांक– 1-8/2013-BP.III (Vol.II) दिनांक 13.05.2022 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के लाभुकों हेतु खाद्यान्न का निम्नवत् संशोधित मासिक आवंटन प्राप्त है (छायाप्रति संलग्न)।

गेहूँ – 92118.341 मे0 टन
चावल – 368473.364 मे0 टन
कुल – 460591.705 मे0 टन

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन अन्त्योदय श्रेणी के लाभुकों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न (7 किलोग्राम गेहूँ एवं 28 किलोग्राम चावल) की दर से तथा पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (1 किलोग्राम गेहूँ एवं 4 किलोग्राम चावल) की दर से माह जून, 2022 से मार्च, 2023 हेतु जिलावार तालिका के अनुसार खाद्यान्न का संशोधित मासिक आवंटन निम्नवत् किया जाता है :–

(मात्रा क्विंटल में)

क्र0	जिला का नाम	अन्त्योदय परिवारों की संख्या	अन्त्योदय परिवारों हेतु 35 किलो प्रति परिवार (7 किलो गेहूँ एवं 28 किलो चावल) की दर से खाद्यान्न का आवंटन			माह जून, 2022 से मार्च, 2023 हेतु खाद्यान्न का संशोधित मासिक आवंटन				कुल खाद्यान्न (6+10)
						भारत सरकार से प्राप्त आवंटन एवं जिलों में वास्तविक संख्या के अनुसार सामानुपातिक रूप से कुल पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अधीन व्यक्तियों की संख्या	खाद्यान्न का संशोधित आवंटन (1 किलो गेहूँ एवं 4 किलो चावल प्रति व्यक्ति की दर से)			
			गेहूँ	चावल	कुल		गेहूँ	चावल	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	प0 चम्पारण	118848	8319.36	33277.44	41596.80	2720465	27204.65	108818.60	136023.25	177620.05
2	पूर्वी चम्पारण	140757	9852.99	39411.96	49264.95	3755988	37559.88	150239.52	187799.40	237064.35

14/5/22

क्र0	जिला का नाम	अन्त्योदय परिवारों की संख्या	अन्त्योदय परिवारों हेतु 35 किलो प्रति परिवार (7 किलो गेहूँ एवं 28 किलो चावल) की दर से खाद्यान्न का आवंटन			माह जून, 2022 से मार्च, 2023 हेतु खाद्यान्न का संशोधित मासिक आवंटन				कुल खाद्यान्न (6+10)
						भारत सरकार से प्राप्त आवंटन एवं जिलों में वास्तविक संख्या के अनुसार सामानुपातिक रूप से कुल पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अधीन व्यक्तियों की संख्या	खाद्यान्न का संशोधित आवंटन (1 किलो गेहूँ एवं 4 किलो चावल प्रति व्यक्ति की दर से)			
			गेहूँ	चावल	कुल		गेहूँ	चावल	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	शिवहर	14008	980.56	3922.24	4902.80	521442	5214.42	20857.68	26072.10	30974.90
4	सीतामढ़ी	76077	5325.39	21301.56	26626.95	2702358	27023.58	108094.32	135117.90	161744.85
5	मधुबनी	153989	10779.2	43116.92	53896.15	3346298	33462.98	133851.92	167314.90	221211.05
6	सुपौल	52761	3693.27	14773.08	18466.35	1782701	17827.01	71308.04	89135.05	107601.40
7	अररिया	74530	5217.10	20868.40	26085.50	2478285	24782.85	99131.40	123914.25	149999.75
8	किशनगंज	65105	4557.35	18229.40	22786.75	1244662	12446.62	49786.48	62233.10	85019.85
9	पूर्णिया	65565	4589.55	18358.20	22947.75	2695934	26959.34	107837.36	134796.70	157744.45
10	कटिहार	54078	3785.46	15141.84	18927.30	2539410	25394.10	101576.40	126970.50	145897.80
11	मधेपुरा	40674	2847.18	11388.72	14235.90	1632172	16321.72	65286.88	81608.60	95844.50
12	सहरसा	39077	2735.39	10941.56	13676.95	1618017	16180.17	64720.68	80900.85	94577.80
13	दरभंगा	92388	6467.16	25868.64	32335.80	3378168	33781.68	135126.72	168908.40	201244.20
14	मुजफ्फरपुर	140512	9835.84	39343.36	49179.20	3325495	33254.95	133019.80	166274.75	215453.95
15	गोपालगंज	63929	4475.03	17900.12	22375.15	1473003	14730.03	58920.12	73650.15	96025.30
16	सिवान	53831	3768.17	15072.68	18840.85	2185023	21850.23	87400.92	109251.15	128092.00
17	सारण	100929	7065.03	28260.12	35325.15	2301501	23015.01	92060.04	115075.05	150400.20
18	वैशाली	84612	5922.84	23691.36	29614.20	2651424	26514.24	106056.96	132571.20	162185.40
19	समस्तीपुर	106174	7432.18	29728.72	37160.90	3481635	34816.35	139265.40	174081.75	211242.65
20	बेगूसराय	74399	5207.93	20831.72	26039.65	2326993	23269.93	93079.72	116349.65	142389.30
21	खगड़िया	48385	3386.95	13547.80	16934.75	1393294	13932.94	55731.76	69664.70	86599.45
22	भागलपुर	55855	3909.85	15639.40	19549.25	2250504	22505.04	90020.16	112525.20	132074.45
23	बांका	35286	2470.02	9880.08	12350.10	1642262	16422.62	65690.48	82113.10	94463.20
24	मुंगेर	39165	2741.55	10966.20	13707.75	871392	8713.92	34855.68	43569.60	57277.35
25	लखीसराय	15921	1114.47	4457.88	5572.35	690120	6901.20	27604.80	34506.00	40078.35
26	शेखपुरा	11958	837.06	3348.24	4185.30	415599	4155.99	16623.96	20779.95	24965.25
27	नालन्दा	85618	5993.26	23973.04	29966.30	1815350	18153.50	72614.00	90767.50	120733.80
28	पटना	122733	8591.31	34365.24	42956.55	4102643	41026.43	164105.72	205132.15	248088.70
29	भोजपुर	65786	4605.02	18420.08	23025.10	1742241	17422.41	69689.64	87112.05	110137.15
30	बक्सर	30446	2131.22	8524.88	10656.10	842917	8429.17	33716.68	42145.85	52801.95
31	कैमूर	42979	3008.53	12034.12	15042.65	793740	7937.40	31749.60	39687.00	54729.65
32	रोहतास	52493	3674.51	14698.04	18372.55	1676460	16764.60	67058.40	83823.00	102195.55
33	औरंगाबाद	54827	3837.89	15351.56	19189.45	1562709	15627.09	62508.36	78135.45	97324.90
34	गया	90111	6307.77	25231.08	31538.85	2765273	27652.73	110610.92	138263.65	169802.50
35	नवादा	46692	3268.44	13073.76	16342.20	1556442	15564.42	62257.68	77822.10	94164.30
36	जमुई	48525	3396.75	13587.00	16983.75	1251350	12513.50	50054.00	62567.50	79551.25
37	जहानाबाद	23820	1667.40	6669.60	8337.00	646942	6469.42	25877.68	32347.10	40684.10
38	अरवल	18157	1270.99	5083.96	6354.95	431129	4311.29	17245.16	21556.45	27911.40
	योग :–	**2501000**	**175070**	**700280.00**	**875350.00**	**74611341**	**746113.41**	**2984453.64**	**3730567.05**	**4605917.05**

4. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी विभागीय पत्रों को उपरोक्त वर्णित माह हेतु इस अंश तक संशोधित समझा जाय। गेहूँ का दर 2/– रू0 प्रति किलोग्राम एवं चावल का दर 3/– रू0 प्रति किलोग्राम होगा ।

5. उक्त के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जिलान्तर्गत पहचान किये गये पात्र गृहस्थियों को वितरित किये गये वास्तविक राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाय। जिलों में नये राशन कार्ड के निर्गमन एवं अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड के रद्दकरण के आलोक में समय–समय पर आवश्यकतानुसार खाद्यान्न के आवंटन को संशोधित किया जा सकता है। इस आवंटन के आलोक में यदि जिले में अतिरेक खाद्यान्न हो तो उसे निश्चित रूप से प्रत्यार्पित कर दिया जाय ।

अनुरोध है कि तदनुसार खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाय एवं प्रत्येक माह के उठाव एवं वितरण संबंधी सूचना अन्न वितरण पोर्टल पर अपलोड करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगले माह की 10वी तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाय ।

अनु0ः– 04 पन्ने।

विनय समाजन
14/5/22
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–20/2013(खंड) 2268 /खाद्य, पटना/दिनांक 14.05.22
प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना एवं महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, अरूणाचल भवन, एक्जीविशन रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/5/22
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–20/2013(खंड) 2268 /खाद्य, पटना/दिनांक 14.05.22
प्रतिलिपि– अध्यक्ष, बिहार राज्य खाद्य आयोग/सभी सदस्य, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना/सभी अपर समाहर्त्ता –सह– जिला शिकायत निवारण अधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

14/5/22
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–20/2013(खंड) 2268 /खाद्य, पटना/दिनांक 14.5.22
प्रतिलिपि– श्री अरूण कुमार सैगल, अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

14/5/22
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–20/2013(खंड) 2268 /खाद्य, पटना/दिनांक 14.05.22
प्रतिलिपि– अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/ सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/5/22
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–20/2013(खंड) 2268 /खाद्य, पटना/दिनांक 14.05.22
प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

14/5/22
सरकार के सचिव।

282

F.No.1-8/2013-BP.III (Vol.II)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 13.05.2022

To,

1. The Principal Secretaries/Secretaries, Food and Civil Supplies Department (Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Delhi, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Kerala and Tamil Nadu)

2. The Chairman-Cum-Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi.

Subject: Revised allocation of foodgrains to all the beneficiaries under NFSA for a period of 10 months i.e. from June, 2022 to March, 2023- reg.

Sir/Madam,

I am directed to say that this Department is making a monthly allocation of 43.62 LMT foodgrains which includes 24.06 LMT of rice and 19.56 LMT of wheat. In addition, GoI is also making a tide over allocation of 2.2 LMT foodgrains i.e 1.57 LMT rice and 0.63 LMT wheat.

2. In order to ensure management of foodgrain stocks as per norms, to position rice stock for distribution of fortified rice, to ease the pressure on the logistics and after due consultations, it has been decided to revise the NFSA allocation of rice and wheat under AAY & PHH category in r/o 10 States/UTs i.e Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Delhi, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Tamil Nadu and under tide over category in r/o 3 States i.e Uttarakhand, Kerala and Tamil Nadu for the remaining 10 months of the current FY 2022-23 i.e. June, 2022 to March, 2023, as per **Annexure-I & II**. The allocation of foodgrains to the above mentioned **12 States/UTs will be applicable upto March, 2023.**

3. The validity period for lifting of the above revised foodgrains for June, 2022 will be upto 30 days from the date of issue of this letter. The validity period for rest of the months i.e. July, 2022-March, 2023 will be upto last date of the month preceding the allocation month.

4. If any quantity of wheat of the existing allocation is already lifted by States, adjustment may be done for the respective quantity during the remaining period of the year.

5. There will be no change in cost sharing on account of such distribution including food subsidy, intra-state transportation and dealer's margin/additional dealers margin, it will continue as per current sharing basis.

6. This issues with the approval of competent authority vide Note No. 349 dated 13.05.2022 and subsequent concurrence of IFD vide its Note No. 339 dated 13.05.2022

7. Kindly acknowledge the receipt of the letter.

Enclosure: as above

Yours faithfully,

अरुण कुमार सैगल / Arun Kumar Saigal
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
Deptt. of Food & Public Distribution
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

(Arun Kumar Saigal)
Under Secretary to the Government of India

(25)

Copy to:

1. AS &FA, DFPD
2. Sr. Economic Adviser (NFSA)
3. JS(BP&PD)/JS(Policy & FCI), DFPD
5. The Resident Commissioner, All States/UTs, New Delhi.
5. ED (Sales) /General Manager (Sales), FCI (HQ), New Delhi.
6. Dir. (Fin & Budget)/ Dir. (PD)/ Dir (Movt.) / Dir. (Pol.I)/JD (NFSA)/ DS (Finance) / DS (BP)/DS (FC A/cs)
7. The GM, FCI, Regional Offices, concerned.
8. NFSA/BP-I/PD-I/PD-II/PD-III/Movt.I/FC A/cs Section
9. NIC, Deptt. of Food & PD – with the request to upload this allocation letter on the official website of this Department.
10. Hindi section with the request to provide the translated version of the order in Hindi.
11. State file / Guard file

Copy also forwarded for information to:

1. PS to Hon'ble, MoCAF&PD
2. PS to Hon'ble MoS, CAF&PD
3. PSO to Secretary, DFPD

18.8.22

18.8.22

अरुण कुमार सैगल / Arun Kumar Saigal
अवर सचिव (बी पी-1 और 3) / Under Secretary (BP-I & III)
भारत सरकार / Government of India
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
Deptt. of Food & Public Distribution
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

ANNEXURE-II

Revised allocation of foodgrains under tide over category w.e.f June, 2022-March, 2023

(figures in MT)

S. No.	State	Current monthly allocation under tide over category			Revsied monthly allocation under tide over catgeory		
		Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice	Total
1	Uttarakhand	5669.000	2792.000	8461.000	0.000	8461.000	8461.000
2	Kerala	6459.074	26835.124	33294.198	0.000	33294.198	33294.198
3	Tamil Nadu	9317.046	83853.417	93170.463	0.000	93170.463	93170.463

Note: There will be no change in allocation of foodgrains under AAY & PHH category in r/o above States except Tamil Nadu

अरुण कुमार सैगल / Arun Kumar Saigal
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India

(279)

ANNEXURE-I

Revised allocation of foodgrains under NFSA w.e.f June, 2022-March, 2023

(figures in MT)

S. No	State	No. of families/persons identified under NFSA (in lakh)				Current monthly allocation under NFSA			Revised monthly allocation under AAY			Revised monthly allocation under PHH			Revised total monthly NFSA allocation		
		AAY		PHH	Total no of persons												
		No. of families	No. of person	No. of person		Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice	Total
1	Bihar	25.01	125.05	746.11	871.16	184236.682	276355.023	460591.705	17507.000	70028.000	87535.000	74611.341	298445.364	373056.705	92118.341	368473.364	460591.705
2	Jharkhand	8.98	35.65	228.47	264.12	58269.990	87404.985	145674.975	6288.289	25153.156	31441.445	22846.706	91386.824	114233.530	29134.995	116539.980	145674.975
3	Odisha	12.58	38.08	286.07	324.15	24830.483	162215.492	187045.975	0.000	44013.235	44013.235	0.000	143032.740	143032.740	0.000	187045.975	187045.975
4	West Bengal	16.42	54.99	546.85	601.84	196889.236	133995.744	330884.980	22984.528	34476.792	57461.320	109369.464	164054.196	273423.660	132353.992	198530.988	330884.980
5	Delhi	0.69	2.81	69.97	72.78	29705.433	7683.892	37389.325	1442.427	961.618	2404.045	20991.168	13994.112	34985.280	22433.595	14955.730	37389.325
6	Uttar Pradesh	40.91	131.16	1356.28	1487.44	488701.312	332626.113	821327.425	57274.728	85912.092	143186.820	271256.242	406884.363	678140.605	328530.970	492796.455	821327.425
7	Gujarat	7.98	36.19	308.96	345.15	118754.327	63648.293	182402.620	12565.791	15358.189	27923.980	69515.388	84963.252	154478.640	82081.179	100321.441	132402.620
8	Maharashtra	25.05	108.01	592.16	700.17	215341.000	168425.000	383766.000	31566.780	56118.720	87685.500	106588.858	189491.302	296080.160	138155.760	245610.240	383766.000
9	Madhya Pradesh	14.81	57.28	425.31	482.58	198354.293	66118.097	264472.390	20727.434	31091.151	51818.585	85061.522	127592.283	212653.805	105788.956	158683.434	264472.390
10	Tamil Nadu	18.65	68.60	296.10	364.69	21330.887	191977.983	213308.870	2610.440	62650.560	65261.000	5921.914	142125.956	148047.870	8532.354	204776.516	213308.870

13.5.22

(अरुण कुमार सैगल / Arun Kumar Saigal
अवर सचिव (बी पी-1 और 3) / Under Secretary (BP-I & III)
भारत सरकार / Government of India
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
Deptt. of Food & Public Distribution
कृषि भवन,
Krishi Bhawan